न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—91/20 (2020/00139) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—देवा पिता उदा जागीड़ ब्राहम्ण निवासी मासिंहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थी

बनाम

1—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन —

वादी अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 15.09.2020

पत्रावली में वर्णित प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम मासिंहपुरा पटवार हल्का मोखुन्दा तहसील रायपुर के बैरून हल्के आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की खाता संख्या 129 में अकिंत आराजी संख्या 356 रकबा 1.08 है0 भूमि स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी मय नक्शा ट्रेस के साथ प्रस्तुत की है। प्रार्थना पत्र की कलम नम्बर 1 में अकिंत प्रार्थी की आराजियात में जाने का एकमात्र रास्ता बिलानाम आराजी संख्या 309 से होकर पर बीस फीट चौड़ा रास्ता विपक्षी की आराजी संख्या 308 व 305 के मध्य होकर बीस फीट चौड़ रास्ता प्रार्थी की आराजी संख्या 356 में जाता है जिससे प्रार्थीगण अपने खेतो में वर्षो से फसल काश्त कर रहे है तथा इसी रास्ते से अपने संज बैल गाड़ी ट्रेक्टर आदि ले जाते है और खाद डालते आ रहे है। प्रार्थीगण के लिये अत्यन्त आवश्यकता का रास्ता है। उक्त रास्ता मौके पर खुला पड़ा हुआ है परन्तु आये दिन अन्य व्यक्ति अवैध कब्जा कर रास्ते को बन्द कर देते है। अतः श्रीमान से सादर प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की आराजी संख्या 356 रकबा 1.08 है0 भूमि में आवागमन का रास्ता विपक्षी की आराजी संख्या 308 व 305 के मध्य बीस फीट चोड़ाई में बिलानाम सरकारी गे.मु. रास्ता दर्ज करने का ओदश तहसीलदार साहब रायपुर को प्रदान कराया जाकर रास्ते के रूप मे काम आने वाली भूमि की डी.एल.सी. दर से राशि विपक्षी को दिलाने का आदेश प्रदान फरमाया जाए।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 10.08.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणो को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी की ओर से पत्रावली पर अंकित किया प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी खसरा नम्बरान का प्रयोग रास्ते के रूप में कर रहा है ऐसी स्थिति में राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज किये जाने कोई आपत्ति नही है।

प्रकरण में तहसीलदार रायपुर से मौका रिपोर्ट ली गई तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका में अंकन किया कि ग्राम मासिंहपुरा की आराजी नम्बर 356 रकबा 1.08 है0 पर वर्तमान में आवागमन हेतु आराजी नम्बर 305 रकबा 0.65 है0 व आराजी नम्बर 308 रकबा 0.65 है0 मे से होकर आवागमन का रास्ता बना हुआ है। मौके पर उक्त आराजी नम्बर 356 रकबा 1.08 है0 में वर्तमान में आराजी नम्बर 309 रकबा 0.97 है0 एवं 314 रकबा 0.42 है0 मे से होकर आराजी नम्बर 308 रकबा 0.65 है0 एवं [illegible] 0.65 है0 में होकर नक्शे में लाल स्याही से अंकन अनुसार आवागमन किया जा रहा [illegible] जी 309 एवं 314

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.09.29 12:48:05 IST
Reason: SelfAttested

पीएचईडी के नाम दर्ज रेकार्ड है। आराजी नम्बर 305 एवं 308 बिलानाम गैर काबिल काश्त दर्ज रेकार्ड है। मौके पर उक्त रास्ते के अलावा आराजी नम्बर 356 में आवागमन का कोई अन्य रास्ता नही है। वर्तमान में आराजी नम्बर 356 में आराजी नम्बर 205 व 308 में होकर सलंग्न राजस्व नक्शे में लाल स्याही से अंकन अनुसार किया जा रहा है। उक्त रास्ते में आराजी नम्बर 305 रकबा 0.65 है0 मे से 360 वर्गमीटर एवं आराजी नम्बर 308 रकबा 0.65 है0 मे से 60 वर्गमीटर भूमि कुल 420 वर्गमीटर भूमि रास्ते के रूप में उपयोग आ रही है। उक्त खसरा नम्बर की डीएलसी दर 54711 प्रति बीघा होने से 420 वर्गमीटर की किमत 10640 रूपये की दुगुनी 21280 रूपये मुआवजा राशि बनती है। प्रार्थी अपनी कृषि भूमि आराजी नम्बर 356 में आराजी नम्बर 305 एवं 308 मे होकर आवागमन चाहता है जिसे लाल स्याही से नक्शा ट्रेस में अंकित कर रखा है।

प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में मुख्य कथन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए मौका रिपोर्ट अनुसार डीएलसी दर पर रास्ता उपलब्ध कराने हेतु प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड तथा तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं वादी अधिवक्ता की बहस पर मनन तो पाया कि प्रार्थी वर्तमान में जिस जगह रास्ते का उपयोग कर रहा है वह खसरा नम्बर 305 व 308 के मध्य रास्ते के रूप मे ही होकर बिलानाम गे.का.का. सरकार दर्ज रेकार्ड है जहां प्रार्थी का मौका रिपोर्ट के अनुसार आवागमन होता है ऐसी स्थिति प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्र्तगत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर आदेश दिया जाता है कि ग्राम मासिंहपुरा तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थी की खातेदारी आराजी में आने जाने हेतु विपक्षी संख्या 1 आराजी नम्बर 305 रकबा 0.65 है0 एवं आराजी नम्बर 308 रकबा 0.65 है0 भूमि बिलानाम गे.का.का. सरकार दर्ज रेकार्ड है जिसमें से आराजी नम्बर 305 रकबा 0.65 है0 मे से 360 वर्गमीटर भूमि एवं आराजी नम्बर 308 रकबा 0.65 है0 मे से 60 वर्गमीटर भूमि यानि कुल 420 वर्गमीटर भूमि आराजी नम्बर 305 के उत्तरी पूर्वी कोने से अर्थात पाल से सटमा पश्चिम की ओर से आराजी नम्बर 356 के उत्तरी पूर्वी कोने तक जिसकी डीएलसी दर रूपये 54711 रूपये प्रति बीघा है। प्रस्तावित रास्ते हेतु प्रर्युक्त भूमि 420 वर्गमीटर जिसकी डीएलसी दर अनुसार भूमि किमत 10640 रूपये की दुगुनी राशि 21280 रूपये मुआवजा राशि बनती है जिसका प्रार्थी द्वारा राजकोष में जमा कराने उक्त भूमि को बिलानाम सरकार गे.मु. रास्ता दर्ज किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार रायपुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15.09.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15-9-2020

(सुन्दर लाल बम्बोडा)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)

रायपुर, जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.09.29 12:48:05 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—91/20 (2020/00139) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—देवा पिता उदा जागीड़ ब्राहम्ण निवासी मासिंहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थी

बनाम

1—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट

प्रेषित :—तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा रास्ता दर्ज कराने बाबत्

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर आदेश दिया जाता है कि ग्राम मासिंहपुरा तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थी की खातेदारी आराजी में आने जाने हेतु विपक्षी संख्या 1 आराजी नम्बर 305 रकबा 0.65 है0 एवं आराजी नम्बर 308 रकबा 0.65 है0 भूमि बिलानाम गे.का.का. सरकार दर्ज रेकार्ड है जिसमें से आराजी नम्बर 305 रकबा 0.65 है0 मे से 360 वर्गमीटर भूमि एवं आराजी नम्बर 308 रकबा 0.65 है0 मे से 60 वर्गमीटर भूमि यानि कुल 420 वर्गमीटर भूमि आराजी नम्बर 305 के उत्तरी पूर्वी कोने से अर्थात पाल से सटमा पश्चिम की ओर से आराजी नम्बर 356 के उत्तरी पूर्वी कोने तक जिसकी डीएलसी दर रूपये 54711 रूपये प्रति बीघा है। प्रस्तावित रास्ते हेतु प्रर्युक्त भूमि 420 वर्गमीटर जिसकी डीएलसी दर अनुसार भूमि किमत 10640 रूपये की दुगुनी राशि 21280 रूपये मुआवजा राशि बनती है जिसका प्रार्थी द्वारा राजकोष में जमा कराने उक्त भूमि को बिलानाम सरकार गे.मु. रास्ता दर्ज किया जावे।

हुक्मनामा आज दिनांक 15.09.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया।

15-9.2020

(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.09.29 12:48:05 IST
Reason: SelfAttested